

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा
केलासदान बनाम सुखदान वगैरा

किस्म मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-113/2025

तारीख हुक्म	हुक्मकारवाई मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2025	<p>वादी के अधिवक्ता श्री महिपालदान चारण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 25.09.2025 को पेश हो।</p>	
10/09/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वही वकील उपस्थित। वही स्वयं उपस्थित। वही वकील ने उर्धता पत्र वास्ते पत्रावली वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पत्रा कर निवेदन किया कि उक्त अनवान सहर का प्रकरण व्यापक में विपरीत है जिसकी आगामी पेशी दिनांक 25/09/2025 को मुकदमा है। वही व प्रतिवादीगण के बीच रजिनामा हो गया है, इसलिए पत्रावली आत पेशी पर लिया जाना न्यायित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त पत्रावली को पेशी पर लेकर उक्त अनवान के प्रकरण में सुनवाई की जावे। वही के निवेदन पर पत्रावली पेशी पर ली गई। वही वकील उर्धता पत्र वास्ते वाद विद्वे करने बाबत पत्रा कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में वही व प्रतिवादीगण के बीच में गाव के मौजिन व्यक्तियों ने रजिनामा करवा दिया है। यह रजिनामा लोक अदालत की शक्त से उचित होकर किया है। अतः हमारे बीच किसी प्रकार का अनजाना नहीं है कि उक्त वाद हम अपने नहीं पलाना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि उक्त अनवान के प्रकरण को विद्वे करने का आदेश परमावे। वही का उर्धता पत्र न्यायित में स्वीकृत किया जाकर उक्त अनवान के बाद को जरिए रजिनामा विद्वे किया जाता है। पत्रावली वैसल गुमर होकर दफ्तर दफ्त हो। संख्या से एक कम हो।</p>	<p>11/09/25 के लिये जारी</p> <p>हुक्म</p> <p>(वादी वकील)</p> 